न्यायमूर्ति वी. के. झांजी के समक्ष

भारतीय परिवहन निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़- उत्तरदाता

1991 का सिविल संशोधन संख्या 74

15 अप्रैल, 1991

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का वी) - धारा 47, आदेश 21 नियम 58 - कंपनी अधिनियम, 1956 - धारा 536 (2) - एचएसआईडीसी निर्णय-देनदार टीसीआई के खिलाफ डिक्री के निष्पादन की मांग करता है - डिक्री के तहत टीसीआई को एचडीएल कंपनी में एचएसआईडीसी की पूरी शेयरधारिता का अधिग्रहण करना था; एचएसआईडीसी को एचडीएल के शेयरों को टीसीआई, एचडीएल के पक्ष में हस्तांतरित करना था/ उच्च न्यायालय द्वारा बंद करने का आदेश दिया गया था - कंपनी अधिनियम की धारा 536 (2) की रोक के मद्देनजर डिक्री का निष्पादन सुनवाई योग्य नहीं है - समापन शुरू होने के बाद किए गए शेयरों का कोई भी हस्तांतरण शून्य है - ट्रायल कोर्ट डिक्री निष्पादित नहीं कर सकता है क्योंकि डिक्री के तहत दायित्व प्रदर्शन के लिए असंभव हैं।

अभिनिर्धारित किया कि, कंपनी अधिनियम की धारा 536 की उप-धारा (2) को पढ़ने से पता चलता है कि कंपनी के समापन के मामले में, कंपनी में शेयरों का कोई भी हस्तांतरण या समापन शुरू होने के बाद किए गए इसके सदस्यों की स्थिति में परिवर्तन शून्य होगा। इसे ध्यान में रखते हुए, एचएसआईडीसी अपने दायित्व को पूरा करने की स्थिति में नहीं है, तो यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि निष्पादन के माध्यम से, टीसीआई को कुछ भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो एचएसआईडीसी द्वारा कुछ दायित्वों के प्रदर्शन पर किए जाने थे। (अनुच्छेद 8)

अभिनिर्धारित किया कि, यह मामला स्पष्ट रूप से नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के तहत प्रदान किए गए डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से जुड़ा हुआ है और यह केवल डिक्री को

निष्पादित करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। विद्वान निष्पादन न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे नहीं जा सकता है जैसा कि पहले देखा गया है, मार्क ए और मार्क बी ने समझौते का हिस्सा बनाया जिसमें दोनों पक्षों के दायित्व शामिल थे और जिसका प्रदर्शन अब समापन के पारित होने के कारण असंभव हो गया है। एचडीएल के खिलाफ आदेश। यदि HSIDC है। समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने की स्थिति में नहीं है, तो निष्पादन न्यायालय कैसे टीसीआई को डिक्री के निष्पादन के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है। (अनुच्छेद 9)

सी.पी.सी. की धारा 115 के तहत श्री एन.के.बंसल, पी.सी.एस. वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, चंडीगढ़ के न्यायालय के दिनांक 13 नवम्बर, 1990 के आदेश में संशोधन के लिए याचिका। मामले को खारिज करना और, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देना।

दावा: - डिक्री के इस निष्पादन की विचारणीयता के बारे में सीपीसी की धारा 47, आदेश 21 नियम 58 के तहत आपत्ति।

पुनरीक्षण में दावा:- निचली अदालत के आदेशों को पलटने के लिए।

पी. एन. अरोड़ा, याचिकाकर्ता के लिए वकील।

आशुतोष मोहनता, प्रतिवादी की ओर वकील।

निर्णय

न्यायमूर्ति वी. के. झांजी:-

1. मेरा यह आदेश 1991 के सिविल विविध संख्या 836-सीआईआई और 1991 के 837-सीआईआई के साथ-साथ 1991 के सिविल संशोधन संख्या 74 का भी निपटान करेगा।

2. हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (संक्षेप में एचएसआईडीसी) ने ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (संक्षेप में टीसीआई) के खिलाफ पारित 18 मार्च, 1985 के

फरमान के निष्पादन की मांग की। टीसीआई ने डिक्री के निष्पादन की विचारणीयता के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 और आदेश XXI नियम 58 के तहत आपत्तियां दर्ज कीं। चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 1990 के आदेश के तहत आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। वर्तमान पुनरीक्षण उक्त आदेश को लागू करते हुए दायर किया गया है।

3. संक्षेप में, तथ्य यह है कि टीसीआई के खिलाफ एचएसआईडीसी द्वारा अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था और मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था। उक्त समझौते के संदर्भ में, मुकदमा सुनाया गया था। वाद की डिक्री करते समय 18 मार्च, 1985 को चंडीगढ़ की प्रथम श्रेणी के उप-न्यायाधीश मिस राज जैन द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था -

"पक्षों के वकीलों के उपरोक्त रिकॉर्ड किए गए बयान और समझौते की फोटोस्टेट प्रतियों को ध्यान में रखते हुए, वादी के मार्क ए और मार्क बी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया है, जिससे पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। डिक्री शीट तदनुसार तैयार की जाए। मार्क ए और मार्क बी समझौते डिक्री-शीट का हिस्सा और पार्सल होंगे। फाइल को रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाए।

4. मार्क ए के खंड 2 के अनुसार, टीसीआई को हरियाणा डिटर्जेंट लिमिटेड (संक्षेप में एचडीएल) में एचएसआईडीसी की पूरी शेयरधारिता को नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार 31 मार्च, 1986 से शुरू होने वाली चार वार्षिक किस्तों में निवेश पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अंकित मूल्य और ब्याज पर अंकित मूल्य और ब्याज पर लेना था:-

दिनांक	अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयरों की खरीद के लिए देय राशि	खरीदे जा रहे इक्विटी निवेश पर देय ब्याज	कुल देय राशि
31.3.86	5,64,000	5,85,799.90	11,49,799.90

31.3.87	5,64,000	6,01,048.50	11,65,048.50
31.3.88	5,64,000	5,92,253.45	11,56,253.45
31.3.89	7,52,000	7,84,975.75	15,36,975.75
	24,44,000	25,64,077.60	50,08,070.60

5. माना कि मार्क ए के खंड 1 के अनुसार, टीसीआई ने एचएसआईडीसी को पहले ही 6,00,000 रुपये की राशि का भुगतान कर दिया था और उक्त 6,00,000 रुपये को अनुसूची में दर्शाए अनुसार 31 मार्च, 1986 को देय राशि के हिस्से के साथ समायोजित किया जाना था। उक्त समझौते के तहत, मार्क ए, एचएसआईडीसी को एचडीएल के 26 प्रतिशत शेयरों को टीसीआई के पक्ष में हस्तांतरित करना था, लेकिन इससे पहले कि अनुसूची में उल्लिखित भुगतान किया जाना था या बदले में एचएसआईडीसी द्वारा टीसीआई को शेयर हस्तांतरित किए जा सकते थे, एचडीएल को बंद करने का आदेश दिया गया था। 1982 की कंपनी याचिका संख्या 68 में इस न्यायालय की दिनांक 11 अप्रैल, 1985। जाहिर है, समापन आदेश 18 मार्च, 1985 को डिक्री के पारित होने के बाद पारित किया गया था, लेकिन इससे पहले कि समझौते के पक्षकारों, मार्क ए द्वारा पारस्परिक दायित्वों का पालन किया जा सके, जो डिक्री का हिस्सा था। जब एचएसआईडीसी ने निष्पादन की मांग की। टीसीआई ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 और आदेश XXI नियम 58 के तहत इस आधार पर आपत्तियां दर्ज कीं कि डिक्री के निष्पादन के बारे में आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है। डिक्री के निष्पादन की विचारणीयता के संबंध में, आपत्ति याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि 18 मार्च, 1985 के डिक्री का निष्पादन समझौतों पर आधारित है। मार्क ए और मार्क बी और समझौते के अनुसार, टीसीआई को एचडीएल और समझौतों में एचएसआईडीसी की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी लेनी थी। मार्क ए और मार्क बी केवल एचडीएल के शेयरों, परिसंपत्तियों और देनदारियों से निपटते थे, लेकिन समापन के आदेश के पारित होने के कारण, उक्त दायित्वों का पालन नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती है। ट्रायल कोर्ट ने आपत्ति याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि चूंकि एचएसआईडीसी द्वारा दायर मुकदमे में टीसीआई के खिलाफ डिक्री

पारित की गई थी, इसलिए डिक्री के निष्पादन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि एचडीएल को बंद करने का आदेश दिया गया था जो मुकदमे में फैसले और डिक्री का पक्ष नहीं था। विद्वान निष्पादन न्यायालय के दिनांक 13 नवम्बर, 1990 के आदेश से व्यथित होने के कारण, टीसीआई द्वारा वर्तमान सिविल संशोधन को प्राथमिकता दी गई है।

6. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी है कि एचडीएल के समापन आदेश के बाद एचएसआईडीसी शेयरों का हस्तांतरण नहीं कर सकता और इस तरह वह टीसीआई से मार्क ए के करार के अनुसार भुगतान प्राप्त करने का हकदार नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि कंपनी के समापन के मामले में कंपनी में शेयरों के हस्तांतरण के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 536 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की उप-धारा (2) में एक पूर्ण प्रतिबंध निहित है और इस मामले में पहला भुगतान 31 मार्च को किया जाना था। 31 मार्च, 1989 को अंतिम भुगतान के साथ समाप्त हुआ जब एचएसडीआईसी को एचडीएल के शेयरों को टीसीआई के पक्ष में स्थानांतरित करना था।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान निष्पादन न्यायालय का आदेश पूरी तरह से कानून के अनुसार है क्योंकि निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे नहीं जा सकता है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया है कि कानून के तहत, एचएसआईडीसी एचडीएल के शेयरों को टीसीआई के पक्ष में स्थानांतरित नहीं कर सकता है क्योंकि 1982 की कंपनी याचिका संख्या 68 में समापन आदेश पारित किया गया है।

8. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, मुझे लगता है कि विद्वान निष्पादन न्यायालय का आदेश रद्द किया जाना चाहिए। कार्यकारी न्यायालय ने पाया है कि एचडीएल के समापन आदेश का निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि डिक्री टीसीआई के खिलाफ पारित की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा कि समझौते के तहत, कुछ भुगतान प्राप्त होने पर, एचएसआईडीसी को टीसीआई के पक्ष में एचडीएल की शेयरधारिता हस्तांतरित करनी थी। अधिनियम की धारा 536 निम्नानुसार है:-

(1) स्वैच्छिक समापन के मामले में, कंपनी में शेयरों का कोई भी हस्तांतरण, परिसमापक को या उसकी मंजूरी से किया गया हस्तांतरण नहीं है, और समापन शुरू होने के बाद कंपनी के सदस्यों की स्थिति में कोई भी बदलाव शून्य होगा।

(2) न्यायालय द्वारा या उसके पर्यवेक्षण के अधीन समापन के मामले में, कंपनी की संपत्ति का कोई निपटान (कार्रवाई योग्य दावों सहित) और कंपनी में शेयरों का कोई हस्तांतरण, या इसके सदस्यों की स्थिति में परिवर्तन, जब तक कि न्यायालय अन्यथा आदेश न दे, तब तक होगा, जब तक कि न्यायालय अन्यथा आदेश न दे, शून्य हो जाओ।

अधिनियम की धारा 536 की उप-धारा (2) को पढ़ने से पता चलता है कि कंपनी को बंद करने के मामले में, कंपनी में शेयरों का कोई भी हस्तांतरण या समापन शुरू होने के बाद किए गए इसके सदस्यों की स्थिति में परिवर्तन शून्य होगा। इसे ध्यान में रखते हुए, एचएसआईडीसी अपने दायित्व को पूरा करने की स्थिति में नहीं है, तो यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि निष्पादन के माध्यम से, टीसीआई को कुछ भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो एचएसआईडीसी द्वारा कुछ दायित्वों के प्रदर्शन पर किए जाने थे। जय नारायण बनाम केदार नाथ[1] मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला सुनाया गया है कि जहां एक डिक्री पारस्परिक और परस्पर जुड़े दायित्वों को लागू करती है, तो निष्पादन न्यायालय इस सवाल पर जा सकता है कि क्या प्रतिवादी डिक्री के अपने हिस्से का पालन करने की स्थिति में है।

9. यह मामला स्पष्ट रूप से नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के तहत प्रदान किए गए डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से जुड़ा हुआ है और यह केवल डिक्री को निष्पादित करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। विद्वान निष्पादन न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे नहीं जा सकता है। जैसा कि पहले देखा गया था, मार्क ए और मार्क बी ने समझौते का हिस्सा बनाया जिसमें दोनों पक्षों के दायित्व शामिल थे और जिसका प्रदर्शन अब एचडीएल के खिलाफ समापन आदेश पारित होने

[1] ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 359.

के कारण असंभव हो गया है। यदि एचएसआईडीसी समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने की स्थिति में नहीं है, तो निष्पादन न्यायालय टीसीआई को डिक्री के निष्पादन के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है।

10. उपर्युक्त कारणों से, मैं पाता हूं कि डिक्री का निष्पादन बनाए रखने योग्य नहीं है। नतीजतन, पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है और निष्पादन न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाता है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियांक गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

यमुनानगर, हरियाणा